RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्याः F.6(1)50/CC/2023/02 दिनांकः 25.04.2025

मातासुख खदान स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन, जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों पर साफ–सफाई कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र

Period of availability of Tender Document	From 25.04.2025 to 05.05.2025 upto 11:00 A.M.
Last date and time of submission the documents and bid.	05.05.2025 upto 2:00 P.M.
opening of Bid (Part-I).	On 05.05.2025 upto 03:30 P.M.
Cost of Tender Document	Rs. 590/- (inclusive GST) Non-Transferable & Non-Refundable

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी–89–90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर–302 015 (राज.) फोन : 0141–2743734 फैक्स : 0141–2743735	कॉर्पोरेट ऑफिस : 4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313 001 (राज.) फोन : (0294) 2527211, 2428763–67 फैक्स : (0294) 2428770, 2428739 (CIN No. U14109RJ1949SGC000505)	एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर –302 005 (राज.) फोन : 0141–2227949, 2227627 फैक्स : 0141–2227761

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्याः F.6(1)50/CC/2023/02 दिनांकः 25.04.2025

निविदा सूचना

मातासुख खदान स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन , जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों पर साफ–सफाई कार्य हेतु दो (02) वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित विवरणानुसार प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से कार्यानुसार मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं :–

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय, भरने व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य एवं निविदा शुल्क	कार्य अवधि एवं अनुमानित लागत
कसनाउ–मातासुख लिग्नाईट खदान पर स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन, जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों की सफाई एवं डस्टिंग इत्यादि का कार्य।	दिनांक से 25.04.2025 से 05.05.2025 को सुबह 11:00 बजे तक एवं भौतिक रूप से निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 05.05.2025 दोपहर 2:00 बजे तक	बयाना राशि– रू. 9600/- निविदा प्रपत्र मूल्य– रू. 590/–	**दो (02) वर्ष** **रूपये 4.80 लाख**
निविदा खोलने की तिथि	दनांक **05.05.2025 को** 03:30PM बजे		
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, 9358833574 E-Mail: skprajapati.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती हैं ।			

निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है, जो कि इस कार्यालय की वेबसाईट– www.rsmm.com पर देखी जा सकती है । इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध) से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्याः F.6(1)50/CC/2023/02 दिनांकः 25.04.2025

विस्तृत निविदा सूचना

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से निविदाऐं दो (02) भागों में (अ) तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव में आमंत्रित की जाती है । कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय,भरने व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य एवं निविदा शुल्क	कार्य अवधि एवं अनुमानित लागत
कसनाउ–मातासुख लिग्नाईट खदान पर स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन, जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों की सफाई एवं डस्टिंग इत्यादि का कार्य।	दिनांक से 25.04.2025 से 05.05.2025 को सुबह 11:00 बजे तक एवं भौतिक रूप से निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 05.05.2025 दोपहर 2:00 बजे तक	बयाना राशि– रू. 9600/- निविदा प्रपत्र मूल्य– रू. 590/–	**दो (02) वर्ष** **रूपये 4.80 लाख**
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक **05.05.2025** को 03:30PM बजे		
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, 9358833574 E-Mail: skprajapati.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती हैं ।			

निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई–निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है । इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है ।

निविदाकर्ता अपनी निविदा दिनांक 05.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय– आरएसएमएमएल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में दोपहर 2:00 बजे तक तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जायेगा तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचिबद्ध किया जाकर ऐसे सूचिबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद मे खोला जायेगा जिसकी सूचना सफल निविदाकर्ता को भिजवाई जायेगी ।
पात्रताः– ई–निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 4.0 के अनुसार ।
बयाना राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रस्ताव (प्रथम भाग) के साथ जमा कराने होंगे।

नोट– जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस टैण्डर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगें ।
निविदा में संशोधन/शुद्धिपत्र केवल आर.एस.एम.एम.एल. की वेबसाईट एवं sppp.rajasthan.nic.in पर ही प्रकाशित किये जायेंगे; इस हेतु निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट्स देखते रहें ।

प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध)

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

निविदा संख्याः F.6(1)50/CC/2023/02 दिनांकः 25.04.2025

निविदा प्रपत्र

1.0 कार्य एवं कार्य क्षेत्र

कसनाऊ मातासुख लिग्नाईट माईंस, नागौर –डीडवाना सड़क पर नागौर से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है पर स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन, जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों की सफाई एवं डस्टिंग इत्यादि का कार्य जिसका कि विवरण निम्नानुसार है, करना शामिल हैः–

i) क्लीनर और कीटाणुनाशक के साथ झाडू और पोंछा लगाना, बरामदों/गलियारे में प्रतिदिन सभी डस्टबिन से अपशिष्ट सामग्री का संग्रह कर निश्चित स्थान पर भण्डारण करना, क्लीनर और कीटाणुनाशक के साथ प्रतिदिन सभी सीढ़ियों एवं गलियारों के फर्श की झाडू और पोंछे से सफाई, शौचालयों की प्रतिदिन सफाई, शौचालयों और वॉशबेसिन में फसें कचरे को निकालना और सफाई करना साथ ही दीवारों की टाईल को भी साफ करना, वाटर कूलर और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई, फ्लोर डस्टर के साथ सीढ़ी, रेलिंग की सफाई, कैंटीन एवं कैंटीन क्षेत्र के आसपास की सफाई ।

ii) इमारत के बाहर एवं आसपास अवांछित सामग्री का संग्रह, भवन के अन्दर एवं बाहर से दीवारों एवं खिड़कियों से मकड़ी के जाले एवं अन्य प्रकार की गन्दगी की सफाई प्रत्येक महीने करना सम्मिलित है ।

iii) चूँकि उक्त कार्य नियमित प्रकृति का है । अतः आवश्यकतानुसार कार्मिकों की उपस्थित एवं कार्य को समय पर संपादित करना आवश्यक है ।

iv) निविदाकर्ता द्वारा स्थान एवं परिसर आदि का निरीक्षण निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को या निविदाकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा कर लेना चाहिये एवं इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहे तो प्रबन्धक (यांत्रिकी–अनुबन्ध), एसबीयू एवं पीसी–लिग्नाईट, आरएसएमएमएल, जयपुर से प्राप्त कर सकता है । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता, आपत्ति एवं संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा । इस निविदा के तहत कार्य की दरों के संबंध में प्राप्त निविदा दरों को ही अन्तिम माना जायेगा ।

2.0 कार्य अवधि

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से या निर्धारित तिथि से दो (02) वर्ष के लिए होगा । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत आपसी सहमति से कार्य की अवधि को बढाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएम के पास होगा।

3.0 **निविदा दरों की मान्यता** –निविदा की दरें निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक मान्य होगी ।

4.0 पात्रता

1. निविदाकर्ता का विगत तीन वर्ष (2022—23, 2023—24 एवं 2024—25) में से किसी भी एक वर्ष में **न्यूनतम टर्न—ओवर रूपये 2,40,000/—** (दो लाख चालीस हजार) का होना आवश्यक है जिसके बाबत चार्टेड अकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (बेलेन्स—शीट और प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट), टीडीएस, आयकर रिटर्न अथवा फार्म—16 की सत्यापित प्रति को निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5.0 बयाना राशि

5.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रूपये 9600/— (रूपये नो हजार छः सौ मात्र) की बयाना राशि निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी।

5.2 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

5.3 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई—पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमि. के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	**ICICI Bank**
Bank Location	Khanij Bhawan, Tilak Marg,Jaipur
Type of Account	C.D.
C.D. Account No.	**678605000722**
IFSC Code	**ICIC 0006786**

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि के अनुसार अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा ।

5.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5.5 असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिये जाने तथा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी ।

5.6 सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि जमा करवानी होगी ।

5.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

5.8 निविदाकर्ता द्वारा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती हैः—

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।

iv) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।

v) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

vi) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

6.0 <u>धरोहर राशि</u>

6.1 धरोहर_राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की दस (10%) प्रतिशत राजस्थान ट्रान्सपेरेन्सी एक्ट के अनुसार होगी। ।

6.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ई–पेमेन्ट के द्वारा कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

6.3 अगर संविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।

6.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर/बयाना राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।

6.5 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

6.6 धरोहर राशि का पुर्नभुगतान अनुबन्ध (मय बढाई गई अवधि यदि हो तो) की समाप्ति के सामान्यतः 06 (छः) माह पश्चात कर दिया जायेगा, बशर्ते कि (i) निविदाकर्ता द्वारा कर्मचारियेां/श्रमिकों का वेतन, पी.एफ. इत्यादि का भुगतान किया जा चुका हो, (ii) निविदाकर्ता को कम्पनी द्वारा दिये गये साजो–सामान जो उसे आरएसएमएमएल द्वारा जारी किये गये हों, अधिकृत अधिकारी को सौंप दिये गये हों, (iii) निविदाकर्ता ने अनुबन्ध समाप्ति पर कोई बकाया नहीं, कोई दावा नहीं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, एवं (iv) निविदाकर्ता ने इनडिमनीटी बोण्ड (indeminity bond) नियमानुसार प्रस्तुत कर दिया हो ।

7.0 **निविदा प्रपत्र को भरना**

निविदाकर्ता स्थान, मार्ग आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर ले तथा इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिये तो कम्पनी के खनिज भवन स्थित कार्मिक एवं प्रशासन विभाग/अनुबन्ध ाखा से प्राप्त कर सकता है । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ती/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस निविदा के तहत कार्य की दरों के संबंध में प्राप्त निविदा–दरों को ही अन्तिम माना जावेगा एवं निविदा–दरों में किसी प्रकार का नेगोशियेशन मान्य नहीं होगा ।

7.1 निविदा दो भागों में भरनी होगी, जो निम्न प्रकार से है :–

प) प्रथम भाग–तकनीकी एवं वाणिज्यिक

पप) द्वितीय भाग – दर प्रस्ताव

7.2 निविदाकर्ता अपनी निविदा दोनों भागों के लिए अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द करके प्रस्तुत करेगा तथा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम, निविदाकर्ता का नाम व पता लिख कर दोनों को एक अन्य लिफाफे में सील कर दिनांक 00.00. 0000 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में सुबह 00.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 0.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं

वाणिज्यिकी) खोला जाएगा, तथा इसमें सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसी सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) खोला जायेगा, द्वितीय भाग को खोलने की दिनांक अलग से सूचित की जावेगी ।

8.1 **प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक** (Techno-commercial Part)

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ठ–(अ) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना हैः–

(अ) वांछित राशि बयाना राशि 9600/– (रूपये नो हजार छः सौ मात्र) के अनुसार का विवरण।
(ब) नाम, पता, ई–मेल, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी।
(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।
(द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
(य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।

ii) निविदाकर्ता का विगत तीन वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में से किसी भी एक वर्ष में **न्यूनतम टर्न–ओवर रूपये 2,40,000/–** (दो लाख **चालीस** हजार) का होना आवश्यक है जिसके बाबत चार्टेड अकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (बेलेन्स–शीट और प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट), टीडीएस, आयकर रिटर्न अथवा फार्म–16 की सत्यापित प्रति को निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iii) नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी **परिशिष्ठ–(ब)** में प्रस्तुत करनी होगी ।

iv) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग **परिशिष्ठ–(स)** के अनुसार देनी होगी ।

v) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र **परिशिष्ठ–(द)** प्रस्तुत करना होगा।

vi) जी.एस.टी. के बाबत निविदाकर्ता द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अबेटमेन्ट, संबंधित जी.एस.टी. विभाग से लिया जाता हो तो निविदाकर्ता को (अपने लेटर हेड पर) निविदा प्रपत्र के **क्लाज संख्या 11.0** के अनुसार अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगी ।

vii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ठ संलग्न किये हैः–

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract.

viii) आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स, 2013 में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन/स्पष्टिकरण इत्यादि भी लागू होंगे।

नोट– **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

8.2 **द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)**

- कार्य की दरें ऑफ–लाईन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें उपलब्ध निविदा के फॉर्म परिशिष्ठ–'य' में ही भरें ।

9.0 <u>निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश</u>

9.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नही हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के **क्लॉज 10.0** के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।

9.2 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी ।

9.3 कार्य आदेश के पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ करना होगा । बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश की तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

9.4 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

9.5 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।

9.6 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होगें ।

10.0 <u>नेगोशियेशन:</u>

10.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त कमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

10.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

10.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

11.0 **TAXES/GST**

i) निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा का (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा, अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो । प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी

एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।

ii) वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी । इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा ।

iii) यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपाजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

iv) कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) के कारण पेनेल्टी लगने की परिस्थिती में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती है ।

v) निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी। इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है।

vi) अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

12.0 बिलों का भुगतान

12.1 सफल निविदाकर्ता को जारी आशय–पत्र (letter of acceptance)/ कार्यादेश की स्वीकृति के एक माह की अवधि में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

12.2 निविदाकर्ता अपना मासिक बिल प्रत्येक माह की 7 तारीख तक दो प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

12.3 भुगतान सामान्यतः बिल प्राप्ति की दिनांक से 10(दस) दिन की अवधि के भीतर वैधानिक अथवा अन्य कटौतियाँ (यदि कोई हो) करने के बाद रेंखाकित चैक के द्वारा कम्पनी द्वारा कर दिया जायेगा ।

12.4 जी.एस.टी. का रजिस्ट्रेशन नम्बर निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, यदि लागू हो और नियमानुसार भुगतान भी संबंधित विभाग को निविदाकर्ता द्वारा समयान्तर्गत किया जावेगा। यदि कार्य से सम्बन्धित निविदाकर्ता द्वारा जी.एस.टी.टेक्स देय होता है तो निविदाकर्ता द्वारा जी.एस.टी. जमा कराने की रसीद/GSTR-1 प्रस्तुत करने पर जी.एस.टी. की राशि का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जावेगा। **जी.एस.टी. जमा कराने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी एवं इसे कार्य की दरों में शामिल नहीं माना जाएगा**। अनुबन्ध की अवधि में जी.एस.टी. में बढ़ोतरी/कमी का भुगतान/वसूली कम्पनी द्वारा की जायेगी।

13.0 सफाई कार्य में नियोजित कर्मचारी

13.1 निविदाकर्ता द्वारा सफाई कार्य हेतु नियोजित कर्मचारियों की सूचना संलग्न **परिशिष्ट संख्या 'ब'** में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी को लिखित रूप मे देनी होगी ।

13.2 निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी वयस्क, स्वस्थ विशेषतः चर्म रोग या ऐसी कोई

संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए । इस आशय का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य आरम्भ करने से पूर्व देना होगा ।

13.3 सभी नियुक्त कर्मचारी तंदुरूस्त, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित व साफ सुथरी वर्दी में होना आवश्यक है ।

13.4 सामान्यतः कर्मचारियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिवर्तन करने पर उसकी सूचना **परिशिष्ट 'ब'** में देनी अनिवार्य होगी ।

13.5 यदि कोई भी कर्मचारी अनुशासनहीनता या कम्पनी कार्य में दखलंदाजी या किसी प्रकार की हानि करते पाया गया तो निविदाकर्ता को ऐसे कर्मचारी को तुरन्त हटाना होगा ।

13.6 नियुक्त कोई भी कर्मचारी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा । ऐसे पदार्थ का सेवन किये हुए/करते हुए पाये जाने पर ऐसे कर्मचारी को तुरन्त हटाना होगा। इससे होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता के मासिक बिलों मे से की जाएगी ।

13.7 कर्मचारियों को वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा देय होगा । वेतन भुगतान आदि से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रतिमाह कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । अगर निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं करता है तो कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों अथवा अमानत राशि में से कटौती करके ऐसे कर्मचारियों को देय मासिक वेतन का भुगतान अपने स्तर पर करें ।

13.8 निविदाकर्ता को प्रतिदिन पौंछा, फिनाईल इत्यादि लगाकर पूर्ण सफाई रखनी होगी।

13.9 निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को साबुन इत्यादि व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने खर्चे पर करेगा ।

14.0 <u>कम्पनी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं</u>

सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी साधन/सामग्री (जैसे कि फिनाईल, पोछा, झाडू, डस्टिंग क्लोथ, वाईपर, एसिड़, रूम स्प्रे, ओडोनिल, फिनाईल क्यूब, वीम पाउडर, कॉलीन, टॉयलेट ब्रश, हिट स्प्रे, निरमा पाउडर, साबुन, हार्पिक इत्यादि) आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे जिसमें बिजली, पानी एवं अन्य संसाधन सम्मलित होंगे परन्तु इन्हें उपयोग में लेने के तरीकों की जिम्मदारी निविदाकर्ता की होगी ।

15.0 <u>संविदाकर्ता द्वारा अपील करना</u>

यदि सविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर है व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

16.0 <u>निविदाकर्ता के सामान्य दायित्व</u>

16.1 निविदाकर्ता पर नियोजित कर्मचारियों का वेतन–भुगतान, सुरक्षा, अनुशासन इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

16.2 निविदाकर्ता अपने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के कृत्यों के

लिए स्वयं उत्तरदायी होगा ।

16.3 निविदाकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सफाई कार्य पूर्ण रूप से करवाकर परिसर को साफ–सुथरा रखेगा। कम्पनी प्रबन्धन द्वारा कभी भी इस संबंध में जाँच की जा सकती है । सफाई का स्तर असन्तोषजनक पाये जाने पर कम्पनी द्वारा निविदाकर्ता को 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा, ऐसी अवस्था में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं इस कार्य की समाप्ति के फलस्वरूप निविदाकर्ता किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

16.4 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से सम्बन्धित सभी वैधानिक नियम व उप–नियमों की पालना करेगा । सभी नियम व उप नियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाऐं, की भी अनुपालना निविदाकर्ता द्वारा की जायेगी ।

16.5 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों ओर कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी से सम्बन्धित भुगतान करने के लिए स्वयं बाध्य होगा ।

16.6 निविदाकर्ता खान अधिनियम 1952, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठेका श्रम (विनियामन और उत्पादन) अधिनियम 1970 एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा । उक्त अधिनियमों के पालनार्थ कम्पनी राशि की वसूली निविदाकर्ता के बिलों/जमा राशि तथा वांछित प्रक्रियानुसार कर सकेगी।

16.7 सफल निविदाकर्ता कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा ।

16.8 संविदा लागू होने की स्थिति में निविदाकर्ता को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । निविदाकर्ता के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि निविदाकर्ता की ओर से जमा करानी होगी अतः निविदाकर्ता उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी निविदाकर्ता की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । निविदाकर्ता ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को निविदाकर्ता उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर

समूह महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

17.0 जुर्माना (Penalty)

17.1 समय की पाबंदी इस अनुबन्ध की मुख्य आवश्यकता है । कार्य आदेश के जारी होने के निर्दिष्ट समय–सीमा में कार्य आरम्भ न करने अथवा अनुबन्ध के अनुसार कार्य नही करने की स्थिति में प्रबन्धन बिना पूर्व सूचना के कार्य आदेश को रद्द करके जमा बयाना/अमानत राशि को जब्त कर सकता है ।

17.2 निर्धारित समय पर सफाई इत्यादि का कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर प्रतिदिन रूपये 300/– जुर्माना लगाने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा ।

i) यदि व्यवस्था आधे घंटे में नहीं होती है तो प्रबन्धन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाकर उस पर किये गये खर्च के साथ–साथ रूपये 300/– तक का अतिरिक्त जुर्माना वसूल किया जा सकेगा ।

ii) सफाई कार्य हेतु प्रबन्धन द्वारा अन्य व्यक्तियों को लगाने पर निविदाकर्ता से प्रतिदिन रूपये 200/– का जुर्माना प्रति व्यक्ति अतिरिक्त लगाया जा सकता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है तो प्रत्येक बार (every occassion) के लिये रूपये 300/– का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

17.3 कार्यादेश अनुसार सफाई कार्य नही करने अथवा अधूरे क्षेत्र में कार्य करने या निरीक्षण के दौरान गन्दगी पाये जाने की स्थिति में रु. 300/– प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकेगी जो अधिकतम प्रतिमाह देय मासिक बिल की 10 प्रतिशत राशि हो सकेगी।

18.0 न्याय क्षेत्र

इस अनुबन्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही रहेगा ।,

19.0 सब–लेट (Sub-leting)

निविदाकर्ता सफाई कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकता है। इस शर्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस पश्चात भी कमी दूर नहीं करने की स्थिति में वे निविदाकर्ता की जोखिम और लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवा सके। ऐसी दशा में होने वाली समस्त हानि की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । जिसकी वसूली उसकी अमानत राशि से समायोजित की जा सकेगी।

20.0 <u>अनुबन्ध की समाप्ति</u>

अनुबन्ध को कम्पनी द्वारा दो माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है । निविदाकर्ता द्वारा बिना नोटिस दिये यदि अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो, इस अनुबन्ध समाप्ति पर कम्पनी प्रबन्धन निविदाकर्ता की जोखिम व लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी किसी भी लागत को निविदाकर्ता के बकाया बिल, अमानत राशि में से समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगी । समायोजन के पश्चात् भी कोई राशि शेष वसूल की जानी है तब ऐसी राशि विधिक प्रक्रिया द्वारा निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी।

21.0 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरी गई निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तो की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

<u>घोषणा</u>

मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं । मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रकार की शर्त इत्यादि संलग्न नहीं है एवं ऐसी किसी शर्त के पाये जाने पर उसे वापस लिया माना जावे ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक
निविदाकर्ता का नाम ....
पता ....
....
टेलिफोन नम्बर ....

परिशिष्ठ–'अ'

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

निविदा संख्याः F.6(1)50/CC/2023/02 दिनांकः 25.04.2025

प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि बयाना राशि रूपये 9,600/– के अनुसार ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	निविदा प्रपत्र में क्लाज संख्या 4.0 के अनुसार अनुभव व पात्रता के संबंध में वांछित दस्तावेज ।	हाँ/नहीं
5.	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये ।	हाँ/नहीं
6.	अण्डर टेकिंग परिशिष्ठ–'ब' के अनुसार ।	हाँ/नहीं
7.	जी.एस.टी. नम्बर की प्रति ।	हाँ/नहीं
8.	पेन (PAN) नम्बर की प्रति ।	हाँ/नहीं
9.	RTPP Act 2012 के अनुसार Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा ।	हाँ/नहीं
10.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र के शुल्क का विवरण ।	डीडी नं.................रू...............दि........

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

<u>घोषणा</u>

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

परिशिष्ठ–'ब'

नियोजित कर्मचारियों के विवरण हेतु प्रपत्र

कर्मचारी का फोटो

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति का नाम व पता
7. शैक्षणिक योग्यता
8. अनुभव
9. पद
10. आधार कार्ड

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मोहर

दिनांक..............

परिशिष्ठ–'स'

Undertaking

I/We …………………………………….. in respect of submission of tender to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

( )
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

परिशिष्ठ–द

(TO BE TYPED ON THE NON- JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs.50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

AFFIDAVIT

I …………………………………..S/o Shri ………………………………… aged……….Years, resident of ……………………………………………………on behalf of the tenderer i.e. M/s ………………………………………………………… hereby undertake oath and state as under:

1) That I have submitted a tender for ……………………………… ……………
2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me / us (i.e. tenderer / contractor)
4) That in case during the currency of the contract, I /We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself / ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorized Signatory)

VERIFICATION

I /We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorized Signatory)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. for procurement of ………………………. in response to their Notice Inviting Bids No. …………… ……. Dated ………….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Managing Director,
RSMM Limited,
4, Meera Marg, Udaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary,
Mines Department,
Government of Rajasthan, Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : …………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ……………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………..

   Place …………………………..
   Date …………………………..
   Appellant's Signature

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

* * * * *

परिशिष्ठ–'य'

कार्य की दरें ऑफ–लाईन निविदा भरने का प्रोफार्मा

Name of Work: Cleaning Contract for Kasnau Matasukh Lignite Mines, Nagaur.

Contract No: Tender No F9(1)50/CC/2023/02 **Dated 25/04/2025**

Bidder Name :					
Sl. No.	**Item Description**	**Period of Contract in months**	**Rs per Month (to be entered by the bidder)**	**TOTAL AMOUNT In Figure**	**TOTAL AMOUNT In Words**
1	कसनाउ–मातासुख लिग्नाईट खदान पर स्थित कार्यालय, धर्मकांटा कक्ष, केन्टीन, जी.एस.एस, सिक्यूरिटी गार्ड रूम एवं खान पर स्थित संस्थान के अन्य सभी परिसरों की सफाई एवं डस्टिंग इत्यादि का कार्य। (Rate inclusives of all taxes and duties but without GST)	24			

i. Lowest bidder (L-1) would be decided on the basis of total offered rate (Excluding GST).

ii. No condition shall be mentioned in the rate part otherwise the offer will be rejected.

iii. If there is any variation in the rate mentioned in figures & words then the rate whichever is lower will be considered as the rate offered by the party.